न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूची 14 फार्म सं0–162

इरविन रवि मरांडी
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–जीवनपुर, न0–222

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 09/2019–20

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
25.7.19	अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 674/रा0 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा मौजा–जीवनपुर 222 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा–जीवनपुर, थाना न0–222 में दिनांक 16.07.2019 को श्रीमति सेलिना मुर्मू के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों एवं हल्का कर्मचारी के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री इरविन रवि मरांडी, पिता–लोरेन्स मरांडी, ग्राम–जीवनपुर को मौजा–जीवनपुर, थाना न0– 222 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–जीवनपुर, थाना न0 222 में ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन मेरे देख–रेख में किया गया, जिसमें श्री इरविन रवि मरांडी, पिता–लोरेन्स मरांडी, ग्राम–जीवनपुर, थाना–कोटालपोखर, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री इरविन रवि मरांडी एक शिक्षित व्यक्ति है। ये खतियानी रैयत डूगा मरांडी के परपोता है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बड़–चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते है। अतएव इरविन रवि प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है। अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक इरविन रवि मरांडी को मौजा–जीवनपुर, थाना न0–222 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 325/रा0 B/ता0 25.7.19